


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(या)() चुनाव / डीएलबी / 22 / 25

दिनांक: 11-1-2023

आदेश


भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य स्तर पर विभागों, एनजीओ, सीएसओ, कॉरपोरेट संगठनों में मतदाता जागरूकता फॉरम का गठन किया जाना है, इस संबंध में उपनिदेशक (प्रशासन) निदेशालय (dlbdda05@gmail.com) को स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता फॉरम (Voter Awareness Forums) हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


(हृदय कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(या)() चुनाव / डीएलबी / 22 / 26-35
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक: 11-1-2023

1. निजी सचिव, मुख्य चुनाव अधिकारी, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर आपके पत्र क्रमांक 900 दिनांक 17.11.2022 के संबंध में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (निर्वाचन विभाग), शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर, आईडीएमएस न. 3088 दिनांक 28.11.2022 के क्रम में।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राज0।
8. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, नगर निगम / परिषद् / पालिकाएँ, समस्त राज0।
9. प्रोग्रामर (आई.टी.सेल) निदेशालय को अपलोड करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी